

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 10/अ-82/15-16/चिल्हाटी / 10322

बैतूल दिनांक 16-09-2019

// घोषणा //

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	चिल्हाटी	0.697	तिगांव- चिचण्डा, तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे०में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	पूरन व. भिक्कू गिरजा, सारजी, तुरजी पिता भिक्कू सनोती बेवा भिक्कू रोशन, रविन्द्र, हरिन्द्र व. रम्मकलाल, रेखा पिता रम्मकलाल, सुरेश व. वत्तू सीमा, मीना व. वत्तू कला पिता रामजी, जाति गोंड, सा.देह	73/1	3.449	0.065
2	कैलाश, कृष्णा व. रामकिशन, सुलोचना, भागरती, अनुसया, रजनी, अंजली- पिता रामकिशन कलार, सा.देह	53/1	0.806	0.280
3	किसनलाल व.गोरेलाल, निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/3	0.202	0.032
4	कृष्णा व. मन्ना भोयर, सा.देह भूमि स्वामी	54/1	0.670	0.053
5	रामकुवर, प्यारेलाल व. भारत झामो उर्फ तुरसाई बेवा भारत, हीरा इंदिरा, लक्ष्मी, चंद्रकला संतोषी पिता भारत, जाति पंवार पता सा.देह भूमिस्वामी	54/4	0.800	0.057
6	गोविन्दराव व. मन्ना, जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	54/2	0.445	0.057
7	युवराज व. अर्जुन सा.देह	59/1	0.838	0.046


8	गंगाराम व. खुशर सा.देह भूमि स्वामी	58	0.809	0.004
9	केशोराव व. रिंगु बंसता, यशोदा, सूशो, सुभद्रा पिता रिंगु गोड जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी	244	1.068	0.099
10	लुखी जौ. अमरुत जाति पंवार सा.देह	56	0.255	0.004
	कुल योग:-		9.342	0.697

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,




(Handwritten Signature)
(तेजस्वी एस0 नायक)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 10/अ-82/17-18/चिल्हाटी/10322

बैतूल दिनांक 16.09.2019

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन जिले में सर्वाधिक प्रकाशिक दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करे।
- 3- उप मुख्य अभियंता मध्य रेल्वे अंजनी नागपुर (महा0) को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराने हेतु अग्रेषित।
- ✓ 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी) सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल/ ग्राम पंचायत में चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।


अपर कलेक्टर एवं

प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन बैतूल